अनुदान संख्या 23 – पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
GRANT No. 23 - MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	2084,45,00				
			2283,48,00	2277,61,05	-5,86,95	
पूरक	Supplementary	199,03,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,75,70	
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-		708,00,00	290,75,30	-417,24,70	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				417,24,30	

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2070”	Major Head “2070”				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	1570.00			
			1418.50	1415.47	-3.03
पु.	R.	-151.50			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2250"	Major Head "2250"				
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services				
मू.	O.	5200.00			
पू.	S.	1.00	4959.00	4959.48	+0.48
पु.	R.	-242.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	55267.00			
पू.	S.	6501.00	51303.65	51297.66	-5.99
पु.	R.	-10464.35			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	144983.00			
पू.	S.	13401.00	168710.55	168709.33	-1.22
पु.	R.	10326.55			

(I) ₹511.50 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹500.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "फसल कृषि कर्म – अन्य व्यय – बागवानी और फूलों की खेती का विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना" के अंतर्गत राज्य एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹511.50 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹500.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Crop Husbandry - Other Expenditure - Pilot Project for Development of Horticulture and Floriculture" - due to non-receipt of viable proposals from State agencies.

(II) मुख्य शीर्ष "2070" – "आंचलिक परिषद – पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय" – ₹154.53 लाख की बचत (₹1570.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता

(II) Under Major Head "2070" - "Zonal Councils - North Eastern Council Secretariat" - saving of ₹154.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1570.00 lakhs) was due to requirement of less funds

होने, रिक्त पदों को भरे न जाने, कम संख्या में चिकित्सा दावों के होने एवं कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2250" – "अन्य व्यय – जीविका, कौशल और क्षमता निर्माण" – ₹241.52 लाख की बचत (जुलाई, 2017 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5201.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल को अंशदान – पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल के लिए केन्द्रीय सहायता" – ₹1016.62 लाख की बचत (₹7400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नागर विमानन मंत्रालय को स्कीम के अंतरण के कारण हुई।

(खा) "फसल कृषि कर्म – अन्य व्यय" –

(क) "पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि फसल की विविधता सहित एकीकृत कृषि विकास" – ₹131.47 लाख की बचत (₹1450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि – बागवानी को विपणन सहायता" – ₹790.99 लाख की बचत (₹3210.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(गा) "खेलकूद और युवा सेवाएं – अन्य व्यय – पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलकूद और युवा विकास कार्यकलाप" – ₹800.00

towards implementation of 7th Central Pay Commission, non-filling up of vacant posts, less number of medical claims and less tours undertaken.

(III) Under Major Head "2250" - "Other Expenditure- Livelihood, Skill and Capacity Building"- saving of ₹241.52 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5201.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2017) was due to non-receipt of viable proposals and less tours undertaken.

(IV) Under Major Head "2552"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Contribution to Central Resource Pool for Development of North Eastern Region - Central Assistance for the Central Resource Pool for Development of North Eastern Region" - saving of ₹1016.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7400.00 lakhs) was due to transfer of Scheme to the Ministry of Civil Aviation.

(B) "Crop Husbandry - Other Expenditure" -

(a) "Integrated Agriculture Development in NE States including diversification of agronomical crops" - saving of ₹131.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1450.00 lakhs); and

(b) "Marketing Support to Agri-horti Produces in NE Region" - saving of ₹790.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3210.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals and utilization certificates.

(C) "Sports and Youth Services - Other Expenditure - Development of Sports and Youth

लाख की बचत (₹3300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "कला और संस्कृति – कला और संस्कृति का संवर्धन – पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र में कला और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन" – ₹226.44 लाख की बचत (₹920.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ङ) "पर्यटक अवसंरचना – अन्य व्यय – पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र में पर्यटन सहित परियोजनाओं को सहायता" – ₹1241.10 लाख की बचत (₹1650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और परियोजनाओं को आरम्भ न किए जाने के कारण हुई।

(चा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें" – ₹5144.70 लाख की बचत (₹18600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों और कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(छा) "अन्य व्यय" –

(क) "अन्य विविध मदें" – ₹378.86 लाख की बचत (₹1705.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और परियोजनाओं को आरम्भ न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय में परियोजना योजना और निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना" – ₹126.29 लाख की बचत (₹130.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौर किए जाने के कारण हुई।

(ग) "सेमिनार/ संगोष्ठी/कार्यशाला इत्यादि के लिए सहायता" – ₹105.66 लाख की बचत (₹320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

Activities in North Eastern Region" - saving of ₹800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3300.00 lakhs); and

(D) "Art and Culture - Promotion of Art and Culture- Preservation and promotion of Art and Culture in NE States" - saving of ₹226.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹920.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilization certificates.

(E) "Tourist Infrastructure - Other Expenditure- Support to Projects related with Tourism in NER" - saving of ₹1241.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1650.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies and non-taking up of projects.

(F) "Tribal Area Sub-Plan - Schemes of North Eastern Council"- saving of ₹5144.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18600.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and utilization certificates from the implementing agencies.

(G) "Other Expenditure"-

(a) "Other Miscellaneous items" - saving of ₹378.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1705.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and non-taking up of projects.

(b) "Setting up of Project Planning and Monitoring Cell in N.E.C. Sectt." - saving of ₹126.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹130.00 lakhs) was due to less tours undertaken.

(c) "Support for Seminar/symposium/ Workshop etc."- saving of ₹105.66 lakhs (against the sanctioned provision of

सेमिनारों/संगोष्ठी/कार्यशालाओं का कम आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(घ) "विज्ञापन और प्रचार, प्रकाशन और सूचना एवं जनसंपर्क" – ₹142.92 लाख की बचत (₹257.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रचार अभियान संबंधी कम प्रस्तावों का अनुमोदन होने के कारण हुई।

(ङ) "सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और टेलीमेडिसन सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में संबंधित सेवाएं" – ₹149.83 लाख की बचत (₹210.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं का आरम्भ न किए जाने के कारण हुई।

(च) "पूर्वोत्तर राज्य सड़क परियोजना प्रबंधन इकाई को एडीबी द्वारा सहायता प्रदान करना" – ₹164.05 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(छ) "एनएलसीपीआर स्कीम के अंतर्गत परामर्शी सेवा, तृतीय पक्षकार निगरानी, प्रभाव निर्धारण आदि के लिए सहायता" – ₹357.09 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कम दावों की प्राप्ति होने और कम पेशेवरों को रखे जाने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "स्वायत्त परिषदों और संविधान की अनुसूची VI के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों को अनुदान – स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद को विशेष विकास पैकेज" – ₹5215.62 लाख की बचत (₹8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों और राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने क कारण हुई।

₹320.00 lakhs) was due to conduction of less seminars/ symposium/ workshops.

(d) "Advertisement and Publicity, Publications and Information and Public Relations"- saving of ₹142.92 (against the sanctioned provision of ₹257.00 lakhs) was due to approval of less proposals towards publicity campaigns.

(e) "Information Technology Application and Related Services in NER including Telemedicine" - saving of ₹149.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹210.00 lakhs) was due to non-taking up of projects.

(f) "ADB assisted North East State Road Project Management Unit"- saving of ₹164.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs); and

(g) "Support for Consultancy, Third Party monitoring impact assessment etc. under NLCPR Scheme" - saving of ₹357.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims and hiring of less consultants.

(V) Under Major Head "3601"- "Other Transfer/ Grants to States"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants to Autonomous Councils and areas covered under Schedule VI of the Constitution- Special Development Package to Autonomous Territorial Council"- saving of ₹5215.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and utilization certificates from the State Governments.

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद को विशेष विकास पैकेज" – ₹1950.23 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹756.37 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत जुलाई, 2017 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" – "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – समुदाय विकास – पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनइआरसीओआरएम परियोजना का संवर्धन" – ₹299.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹298.00 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – जनजातीय क्षेत्र उप योजना–पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधनों के व्यपगत न होने वाले पूल से केन्द्रीय सहायता" – ₹457.37 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹457.34 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" – "पर्यटक अवसंरचना – अन्य व्यय – पूर्वोत्तर पर्यटन विकास को सहायता परिषद" – ₹599.00 लाख का अधिक व्यय (₹187.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वच्छता कार्य योजना के कार्यान्वयन के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान" –

(क) "पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद की स्कीम – विशेष विकास परियोजना" – ₹7885.48 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹2700.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹28733.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Special Development Package to Autonomous Territorial Council"- saving of ₹1950.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and utilization certificates.

2.(I) The above savings were partly (₹756.37 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakh in July, 2017 - under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" - "Other Rural Development Programmes - Community Development - Augmentation of NERCORM Project in North Eastern Region" - ₹299.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹298.00 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Other Transfer/ Grants to States - Tribal Area Sub-Plan - Central Assistance from Non Lapsable Pool of Resources for North East and Sikkim" - ₹457.37 lakhs. Actual excess, however, was ₹457.34 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" - "Tourist Infrastructure - Other Expenditure - Support to North East Tourism Development Council" - excess of ₹599.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹187.00 lakhs) was due to implementation of Swachhta Action Plan.

(B) Major Head "3601" - "Other Transfer/ Grants to States" -

(a) "Schemes of North Eastern Council - Special Development Project" - excess of ₹7885.48 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹28733.00 lakhs including supplementary grant of ₹2700.00 lakhs obtained in March, 2018); and

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – विशेष विकास परियोजना" – ₹9109.55 लाख अधिक का व्यय (मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹7700.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹27100.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Special Development Project" - excess of ₹9109.55 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹27100.00 lakhs including supplementary grant of ₹7700.00 lakhs obtained in March, 2018).

अधिक व्यय उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत चल रही परियोजना की प्रतिबद्ध देयताओं की मंजूरी संबंधी अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards clearance of committed liabilities of ongoing projects.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	67400.00	25675.70	25675.30	-0.40
पु.	R.	-41724.30			

(I) ₹1000.00 लाख का प्रावधान एक मामले के अंतर्गत "नागर विमानन – पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमानपत्तन के सुधार के लिए सहायता" – भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1000.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under "Civil Aviation-Support for Improvement of Airports in North Eastern Region"- due to non-receipt of utilization certificate from Airport Authority of India.

(II) "सड़के और सेतु" के अंतर्गत "सड़के और सेतु" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under "Roads and Bridges" - savings occurred under the following heads:-

(का) "पूर्वोत्तर क्षेत्र में पैदल झूला पुलों/आरसीसी पुलों सहित सड़कों और पुलों का निर्माण/सुधार" के अंतर्गत ₹4433.07 लाख की बचत (₹5300.00 लाख के स्वीकृत

(A) "Construction/ improvement of Roads and Bridges including Foot suspension Bridges/ RCC Bridges in North Eastern Region"- saving of

प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने और प्रस्तावों की प्राप्ति देर से होने के कारण हुई।

₹4433.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5300.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates and late receipt of proposals.

(खा) "पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम" – ₹13800.00 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम को जारी रखने के लिए के लिए अनुमोदन की प्राप्ति देर से होने की वजह से हुई।

(B) "North East Road Sector Development Scheme"- saving of ₹13800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to late receipt of approval for continuation of the North East Road Sector Development Scheme.

(III) "सामान्य निर्माण – व्यापगत न होने वाले केन्द्रीय पूल का संसाधन – केन्द्रीय" – ₹20848.00 लाख की बचत (₹36900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि का कब्जा विलंब से होने की वजह से रेलवे द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) Under "General Construction- Non Lapsable Central Pool of Resources- Central"- saving of ₹20848.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36900.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Railways owing to delay in possession of land.

(IV) "पुनर्वास – अन्य पुनर्वास स्कीम–ब्रू जनजाति के पुनर्वास के लिए मिजोरम के पश्चिमी क्षेत्र का विकास" – ₹100.24 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) Under "Rehabilitation - Other Rehabilitation Schemes - Development of Western Belt of Mizoram for resettlement of Bru Tribals" - saving of ₹100.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs); and

(V) "पूर्वोत्तर क्षेत्र में लघु एवं मध्यम नगरों का एकीकृत विकास – पूर्वोत्तर क्षेत्र में लघु एवं मध्यम नगरों का एकीकृत विकास" – ₹1027.46 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(V) Under "Integrated Development of Small and Medium Towns in NE Region - Integrated Development of Small and Medium Towns in NE Region" - saving of ₹1027.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने एवं कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to late receipt of proposals and non-receipt of utilization certificates from the State Governments.

(VI) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – नागर विमानन" – ₹500.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(VI) Under "Tribal Area Sub-Plan- Civil Aviation"- saving of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificate from Airport Authority of India.